28/4/25 पुकार .... उपस्थित।
साबिक आदेश दिनांक ......
की पालना में पत्रा ... वास्ते ...... आदेश
दिनांक ... 5/5/25 ...... को पेश हो।
समय के अभाव के कारण नहीं लिखवाया गया

खण्ड अधिकारी
कनवर (अलवर)

5/5/25 पुकार .... उपस्थित।
साबिक आदेश दिनांक ......
की पालना में पत्रा ... वास्ते ... आदेश समय अभाव के कारण
दिनांक ... 26/5/25 ...... को पेश हो। नहीं सुनाया गया
पुनः बहस हेतु
पत्रावली पूर्व में जारी स्थगन के अवधी
नियत दिनांक तक बढ़ाई
जाती है।

अधिकारी
कनवर (अलवर)

26/5/25 पुकार उप० पत्रावली पर बहस सुनी गयी।
अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र साबित ना होने के कारण
खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर हस्ता० किया गया। पत्रावली
... फैसल हुआ दाखिल दफ्तर हो
खुले में सुनाया।

SDM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/161/2023 दायर दिनांकः— 27/06/2023
जीसीएमएस नं0:— 2023/342 निर्णय दिनांकः— 26/05/2025

बउनवान

1. गोविन्दराम पुत्र शोभाराम जाति प्रजापत निवासी खेडलाकाबास तहसील बडौदामेव जिला अलवर
2. प्रेमसिंह पुत्र शोभाराम जाति प्रजापत निवासी डी ए बी स्कूल के पास सुभाष नगर भरतपुर
3. भगवानसिह पुत्र शोभाराम जाति प्रजापत निवासी जीतरेडी तहसील नगर जिला भरतपुर
4. मूलचन्द पुत्र शोभाराम जाति प्रजापत निवासी जीतरेडी तहसील नगर जिला भरतपुर

सायलान

बनाम

1. रामघरण पुत्र देवीराम जाति प्रजापत निवासी पावटा तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः—श्री ओमवीरसिह चौधरी एडवोकेट— अधिवक्ता सायलान की ओर से
श्री राधेश्याम चौधरी — अधिवक्ता गैरसायल की ओर से

—:आदेशः—

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 419, 424, 446,

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

447, 472, 473, 652, 656 वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी बुजुर्ग देवीराम की खातेदारी की दर्ज रिकार्ड आराजी थी। देवीराम के फौत हो जाने पर उक्त आराजी का 1/12 हिस्सा सायलान को 1/12 हिस्सा रेस्पो0 सं0 5 ला0 8 को 1/6 हिस्सा गैरसायल सं0 1 को 1/6 हिस्सा 13 ला0 16 को 1/6 हिस्सा 9 ला0 12 को 1/6 हिस्सा रेस्पो0 सं0 4 मृतक देवीराम से विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन मृतक खातेदार की खातेदारी की आराजी में उसके प्रत्येक पुत्र पुत्री व मृतक पुत्र पुत्री के वारिसान का समान हिस्सा विरासत में मिलता है। सायलान, गैरसायल व तरतीवी रेस्पो0 देवीराम के वारिस पुत्र पुत्री व मृतक पुत्र पुत्री के पुत्र पुत्री है। सायलान व रेस्पो0 उक्त आराजी पर अपने अपने हिस्से की आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है उक्त आराजी का हिस्सा सायलान को विरासत में प्राप्त हुआ है। सायलान एंव गैरसायल सं0 1 व तरतीवी रेस्पो0 एक ही बुजुर्ग देवीराम के वारिस है। देवीराम के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 62 वाके ग्राम पावटा पटवारी हल्का ने गैरसायल सं0 1 के नाम पूर्ण हिस्सा सायलान व तरतीवी रेस्पो0 सं0 को विना सुनाये विना बुलाये खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरुद्ध तरीके से तथा मृतक खातेदार देवीराम के सभी वारिसान की जांच किये बिना ही सायलान, तरतीवी रेस्पो0 को छोडकर गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज कर दिया। गैरसायल सं0 1 को मृतक देवीराम का विरासत इन्तकाल सभी कानूनी वारिसान की जांच कर दर्ज व स्वीकार करना चाहिए थां। सायलान ने पारिवारिक सजरा वावत सजरा भी अंकित किया है। ग्राम पंचायत नूरपुर ने मृतक देवीराम का विरासत इन्तकाल संख्या 62 में सायलान व तरतीवी रेस्पो0 का नाम छोडकर भारी कानूनी भूल की है। जिस दोष पूर्ण इन्तकाल संख्या 62 वाके ग्राम नूरपुर का अमल राजस्व रिकार्ड में गैरसायल सं0 1 के नाम खातेदारी में दर्ज हो गया। सायलान ने गैरसायल से उक्त इन्द्राज को सही कराने वावत कहा तो गैरसायल ने इन्कार कर दिया तथा धमकी दी कि मृतक देवीराम की समस्त आराजी मेरे नाम खातेदारी में दर्ज है अब मैं तुम्हें उक्त आराजी पर तुम्हारे हिस्से पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा तुम्हें जबरन बेदखल कर समस्त आराजी पर मैं कब्जा करूँगा अथवा हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर उक्त आराजी को गैरसायल सं0 2 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगा यदि हाल गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायलान को ना पूर्ति होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायलान ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने हाजिर अदालत होकर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि सायलान ने सजरा गलत अंकित किया है। देवीराम की आराजी से सायलान एंव तरतीवी रेस्पो0 का कोई लेना देना नहीं है। इन्तकाल संख्या 62 सभी भाई वहनों की सहमति से दर्ज एंव तस्दीक हुआ। सायलान एंव तरतीवी रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर कभी कब्जा नहीं रहा और ना अव है। अपील एंव प्रार्थना पत्र सायलान ने 46 साल वाद पेश किये है। सायलान द्वारा महज गैरसायल सं0 1 को तंग व परेशान करने की नियत से झूँठे एंव गलत तथ्यों के आधार पर भिन्न भिन्न न्यायालयों में भिन्न भिन्न तथ्यों का उल्लेखित कर कार्यवायियां चलाई जा रही है जो केवल स्थगन हांसिल करने की नियत से एंव गैरसायल सं0 1 करे बर्बाद करने की नियत पेश कर रहे है। नामान्तरण संख्या 62 वाके ग्राम पावटा दिनांक 29.12.1978 को तहसीलदार द्वारा मु0 के नूरपुर–गंजपुर में फैसल किया गया इसलिये न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है भिन्न भिन्न न्यायालयों में भिन्न भिन्न तारीखें अंकित करते हुये एंव भ्रमित करने वाली प्लीडिग के आधार पर कार्यवाहियां पेश कर स्थगन जारी कराये गये है। एडीएम अलवर के यहॉ नामन्तकरण संख्या 62 को तहसीलदार द्वारा फैसल किया बताकर अपील पेश की थी जो वाद में नोट प्रेस में खारिज करा ली गई। ग्राम पंचायत के द्वारा फैसल की तारीख भी काल्पनिक उल्लेखित की गई है सही तथ्य में है कि देवीराम पुत्र काडा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 62 तहसीलदार कठूमर द्वारा 29.12.1978 को नामान्तकरण गंजपुर–नूरपुर को फैसल किया गया है जो क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। अपील मियाद वाहर है। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है।

सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल इन्तकाल 62 वाके ग्राम पावटा व नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम पावटा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

उपखण्ड अधिकारी
नूरपुर (गंजपुर) राज०

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी। अधिवक्ता सायलान ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि सायलान एंव गैरसायल सं0 1 व तरतीवी रेस्पो0 एक ही बुजुर्ग देवीराम के वारिस है। देवीराम के फौत हो जाने पर उसका विरासत इन्तकाल संख्या 62 वाके ग्राम पावटा पटवारी हल्का ने गैरसायल सं0 1 के नाम पूर्ण हिस्सा सायलान व तरतीवी रेस्पो0 सं0 को विना सुनाये विना वुलाये खिलाफ कानून खिलाफ मौका विधि विरूद्व तरीके से तथा मृतक खातेदार देवीराम के सभी वारिसान की जांच किये विना ही सायलान, तरतीवी रेस्पो0 को छोडकर गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज कर दिया। गैरसायल सं0 1 को मृतक देवीराम का विरासत इन्तकाल सभी कानूनी वारिसान की जांच कर दर्ज व स्वीकार करना चाहिए था। गलत इन्द्राज के आधार पर गैरसायल सं0 1 सायलान के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है व गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर रहन वय करने अमादा है तथा गैरसायल सं0 2 से मिलकर दीगर लोगों का रहन वय करने पर अमादा है। इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को पाबुन्द किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपनी बहस के दौरान अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सायलान ने गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र व अपील पेश की है इन्तकाल दर्ज हुये 46 साल हो गये है। इतनी देरी से अपील व प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई उचित कारण नही बताया है। नामान्तरण संख्या 62 वाके ग्राम पावटा दिनांक 29.12.1978 को तहसीलदार द्वारा मु0 के नूरपुर–गंजपुर में फैसल किया गया इसलिये न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है भिन्न भिन्न न्यायालयों में भिन्न भिन्न तारीखें अंकित करते हुये एंव भ्रमित करने वाली प्लीडिग के आधार पर कार्यवाहियां पेश कर स्थगन जारी कराये गये है। एडीएम अलवर के यहॉ नामन्तकरण संख्या 62 को तहसीलदार द्वारा फैसल किया बताकर अपील पेश की थी जो वाद में नोट प्रेस में खारिज करा ली गई। ग्राम पंचायत के द्वारा फैसल की तारीख भी काल्पनिक उल्लेखित की गई है सही तथ्य में है कि देवीराम पुत्र काडा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 62 तहसीलदार कठूमर द्वारा 29.12.1978 को नामान्तकरण गंजपुर–नूरपुर को फैसल किया गया है जो क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। सायलान का

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। सायलान ने सही तथ्यों को छुपाकर गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। इन्तकाल संख्या 62 गैरसायल सं0 1 के नाम सभी भाई बहनों की सहमति से दर्ज व फैसल हुआ था। बदयान्ति पूर्वक प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किया जावे। सायलान को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। इस वजह से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे। अधिवक्ता गैरसायलान ने वहस के दौरान अपने कथनों की पुष्टि में न्यायालय ए डी एम अलवर का निर्णय दिनांक 28.03.2023, मीमो ऑफ अपील प्रार्थना पत्र हुकमचन्द बनाम रामचरण, मूल वाद पत्र मुकदमा नम्बर 1/120 भूरिया बनाम रामचरण आदेशिका सहित, जवाब दावा प्रतिवादी सं0 1 रामचरण, तनकीयात बउनवान मुकदमा भूरिया बनाम रामचरण प्रार्थना पत्र आर्डर 1 रूल 10 जा0दी0 गोविन्दराम, प्रेमसिंह की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों सायलान व गैरसायलान द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व दस्तावेजात जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया व विद्वान अधिक्ता पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायल को अपने प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन विन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

<u>प्रथम दृष्टा केसः–</u> सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र की ताइद में नकल इन्तकाल व जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। इन्तकाल में देवीराम का विरासत इन्तकाल रामचरण के नाम स्वीकार किया गया है जिसका अमल जमाबन्दी हाल में है। सायलान ने अपने प्रार्थना पत्र में पारिवारिक सजरा प्रस्तुत किया है। इसके अलावा गैरसायलान का कथन कि इन्तकाल व इन्तकाल से प्रभावित आराजी पर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल चुके है व फैसल हो चुके है। सायलान ने 46 साल वाद अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किये हैं जिनका देरी से पेश करने का कोई उचित

कारण नहीं बताया है। हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायलान ने प्रार्थना पत्र में जो सजरा पेश किया है जो प्रमाणित नहीं है। अधिवक्ता गैरसायलान ने विवादित इन्तकाल व इससे प्रभावित आराजी पर नामान्तरण संख्या 62 वाके ग्राम पावटा दिनांक 29.12.1978 को तहसीलदार द्वारा मु0 के नूरपुर–गंजपुर में फैसल किया गया इसलिये न्यायालय को क्षेत्राधिकार नही है भिन्न भिन्न न्यायालयों में भिन्न भिन्न तारीखें अंकित करते हुये एंव भ्रमित करने वाली प्लीडिग के आधार पर कार्यवाहियां पेश कर स्थगन जारी कराये गये है। एडीएम अलवर के यहॉ नामन्तकरण संख्या 62 को तहसीलदार द्वारा फैसल किया बताकर अपील पेश की थी जो वाद में नोट प्रेस में खारिज करा ली गई। ग्राम पंचायत के द्वारा फैसल की तारीख भी काल्पनिक उल्लेखित की गई है सही तथ्य में है कि देवीराम पुत्र काडा की विरासत का नामान्तकरण संख्या 62 तहसीलदार कठूमर द्वारा 29.12.1978 को नामान्तकरण गंजपुर–नूरपुर को फैसल किया गया है जो क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। पूर्व में पक्षकारान के मध्य मुकदमा बाजी नहीं चली हो इसे सायलान ने सावित नहीं किया है और ना सायलान ने कोई संतुष्टि पूर्वक जवाव नहीं दिया। विवादित आराजी पर सायलान का कब्जा हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज पत्रावली पर नहीं हे। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से यह सही है कि दोषपूर्ण इन्तकाल व इससे प्रभावित आराजी पर विभिन्न न्यायालयों में मुकदमें चले है फैसल हुये है तथा अपील व स्थगन प्रार्थना पत्र 46 साल वाद पेश किये गये है। विवादित आराजी वावत हाल जमाबन्दी में गैरसायल सं0 1 की खातेदारी दर्ज है। सायलान का देवीराम की आराजी पर कोई हक हिस्सा बनता हो या सायलान का उकत आराजी पर कब्जा हो ये तथ्य तो मूल अपील के निर्णय के समय तय किये जायेगें। सायलान को किसी तरह का नुकशान हो रहा है इस तरह का सायलान के पक्ष में प्रथम दृष्टा केस सावित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल के पक्ष में सावित है।

सुविधा का सन्तुलनः– इन्तकाल संख्या 62 से प्रभावित आराजी पर सायलान का कब्जा हो इस तरह का पत्रावली पर कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं हैं चूँकि

उपखण्ड अधिकारी

हाल जमाबन्दी में गैरसायल सं0 1 की खातेदारी दर्ज है। इस वजह से प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी पर गैरसायल सं0 1 खातेदार है। अतः सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायल सं0 1 के पक्ष में सावित है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः– गैरसायल सं0 1 विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार है। प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी पर गैरसायल सं0 1 का कब्जा होने का अनुमान है। यदि गैरसायल सं0 1को पाबन्द किया जाता है तो ना पूर्ति होने वाली क्षति गैरसायल सं0 1 को होना संभव है। सायलान को किसी तरह की क्षति हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति का विन्दु भी गैरसायल सं0 1 के पक्ष में सावित है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित नहीं होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है। सायल अपने प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट को सावित करने में असफल रहे है इस वजह से सायलान का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो वाद तकमील वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आंज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर